

## ::आदेश::-

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली-2016 में दिये गये प्राविधानानुसार वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 (वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4600/-, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-7) के पद पर चयन वर्ष 2020-21 के लिए विभागीय चयन समिति की संस्तुति के अनुसार पदोन्नत करते हुए उन्हें उनके वर्तमान तैनाती स्थान/कार्यालय में तैनात किया जाता है:-

क्र0 सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	कर्मचारी का नाम सर्वश्री	पिता/ पति का नाम सर्वश्री	वर्तमान तैनाती का जोन / सम्भाग
01	02	03	04	05
1	489	हरिपाल	भीमा	लखनऊ
2	493	अनिरुद्ध प्रताप सिंह	देवी प्रसाद	बरेली
3	497	इन्द्र देव प्रसाद	राम बचन प्रसाद	गोरखपुर
4	498	राम दरश	सुन्दर प्रसाद	गोरखपुर
5	499	श्री सुरेश कुमार	बाबू राम	बरेली
6	502	श्रीमती अंशु कुमारी	पंजाब	वाराणसी
7	504	नरेन्द्र कुमार	प्रेम सिंह	मुरादाबाद
8	505	सुधीर कुमार	हरि सिंह	चन्दौसी
9	506	श्रीमती संजू जैसवाल	धर्मेन्द्र जायसवाल	वाराणसी
10	507	संजय कुमार सोनकर	राजकुमार	वाराणसी
11	509	श्रीमती वाणी कुमारी	अमिंका प्रसाद सिंह	वाराणसी
12	510	वीरेन्द्र पाल सिंह	लाल सिंह	मुरादाबाद
13	511	श्रीमती सुनीता	विजय कुमार	कानपुर
14	512	उजागिर राम	झुनखुन राम	बलिया
15	513	श्रीमती अमिता पाण्डेय	नितिन चन्द्र पाण्डेय	लखनऊ
16	514	श्रीमती रीता	कमलेश कुमार	लखनऊ
17	515	धर्मेश कुमार	नन्हा राम	लखनऊ
18	516	पंकज कुमार मल्ल	हरिनाथ मल्ल	गोरखपुर

2. सम्बन्धित जोनल/सम्भागीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों को पदोन्नति के पद पर प्रत्येक दशा में दिनांक 25-01-2021 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त पदोन्नत किये गये कर्मचारियों में से यदि किन्हीं कारणों से पदोन्नति के पद पर कोई कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न हो तो इस सम्बन्ध में वह अपना लिखित अनुरोध पत्र सम्भागीय अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक दशा में दिनांक 28-01-2021 तक मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

4. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/जोनल अधिकारी/ सम्भागीय अधिकारी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों में से यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही हो अथवा प्रस्तावित हो/ सतर्कता जांच आदि चल रही हो अथवा सत्यनिष्ठा संदिग्ध की गयी हो या कोई दण्डादेश निर्गत किया गया है तो ऐसे कर्मचारी पर यह पदोन्नति आदेश लागू नहीं होगा और सम्बन्धित कर्मचारी पर यह पदोन्नति आदेश क्रियान्वित न कराया जाय, अपितु इसकी सूचना अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से मुख्यालय को तुरन्त उपलब्ध करायी जाय।

5. वर्तमान समय में यदि कोई कर्मचारी उसके नाम के समुख स्तम्भ-05 में दर्शित जोन/स्थान के अतिरिक्त अन्य किसी जोन/स्थान पर कार्यरत हो तो उसकी वर्तमान तैनाती का स्थान तदनुसार संशोधित माना जाए। सम्बन्धित जोनल/ सम्भागीय अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारियों को उक्त पदोन्नति आदेश की प्रति तुरन्त तामील कराना सुनिश्चित करें।

(सूर्यमणि लालचंद)  
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

#### पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (प्रथम) वाणिज्य कर, मुख्यालय को कमिश्नर महोदया के अवलोकनार्थ।
2. सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4. ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
5. सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित कर्मचारियों को नाम से।
8. स्था-6 सामान्य पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
9. चरित्र पंजिका सेल, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

(पी0एन0 यादव)  
13/01/21

ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्था0अराज0) वाणिज्य कर,  
मुख्यालय, लखनऊ।